न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 113/2016

1. जगराम
2. सुखराम
3. बनेसिह
4. बाबूलाल पिसरान पपैया जाति गुर्जर निवासीयान भांवरा गुर्जर तहसील नादौती जिला करौली
5. मांगीलाल
6. कन्हैया
7. खिलाडी पिसरान सरवन जातियान गुर्जर निवासीयान भांवरा गुर्जर तहसील नादौती जिला करौली
8. प्रभू पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी भांवरा गुर्जर तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. कैलासहाय
2. ज्वालासहाय पिसरान जौहरया उर्फ जोख्या
3. सियाराम पुत्र पून्याराम
4. जगदीश पुत्र पून्याराम
5. लोहक्या पुत्र कंचन (फौत)
   5/1. महाराज सिह पुत्र कमल सिह
   5/2. पृथ्वीराज पुत्र कमल सिह
6. हरिसिह पुत्र मजीरा
7. गबरी पुत्र कान्या समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान भांवरा गुर्जर तहसील नादौती जिला करौली
8. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नादौती

रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती मु0न0 19/2011 निर्णय दिनांक 7.10.16)

उपस्थिति अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री हरिवल्लभ चर्तुवेदी
2. रेस्पोडेटान 1 की ओर से श्री शिव कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मु0नं0 19/2011 निर्णय दिनांक 7.10.16 के विरूद्व [illegible] की गई है [illegible] तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान [illegible] पुत्र [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान एक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य है तथा एक ही पुरखे की औलाद है [illegible] सायलान के बाबा तीन सगे भाई थे जिनमे एक जोहरया उर्फ जोख्या दूसरा कंचन व तीसरा श्रवण था। जिनके वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

श्रवण के सायलान व जोहरया उर्फ जोख्या के गैरसायल न0 1 व 2 तथा कंचन के गैरसायल संख्या 3 लगायत 7 है तथा इसी प्रकार से अन्य आराजीयात का विभाजन सायलान व गैरसायलान के मध्य हुआ है। उक्त तीनो बाबाओ का एक लडका भुआ का छीतरया पुत्र पांच्या था जो ग्राम भावंरा गुर्जर मे निवास करता था। उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 36 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा थी जो उसे सिवायचक से अलोट होकर प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात उक्त आराजी उसकी खातेदारी मे दर्ज हुई थी जिसके हाल सेटलमेट मे नवीन ख0न0 137 रकबा 20 ऐयर , 147 रकबा 4 ऐयर, 146/527 रकबा 3 ऐयर कायम हुए। छीतरया गांव भांवरा गुर्जर छोडकर वापिस पैतृक गांव चला गया तथा वह अपनी उक्त आराजी साबिक ख0न0 36 को सायलान व गैरसायलान के बाबा जोहरया उर्फ जोख्या ,कंचन व श्रवण को दे गया। तत्पश्चात छीतरया का देहान्त हो गया। गैरसायलान न0 1 अत्यन्त चालाक किस्म का आदमी है। जिसने गुपचुप तरीके से ग्राम पंचायत दलपुरा के सरपंच व पटवारी हल्का से साज कर फर्जी तरीके से अपने आप को छीतरया का अकेला वारिस बताकर दिनांक 7.6.76 को बिना सायलान व गेरसायलान संख्या 3 ता 7 के ज्ञान मे लाये पोशीदा तरीके से नामा0 संख्या 23 अपने नाम खुलवा लिया तथा तस्दीक करवा लिया। जबकि वह अकेला वास्तव मे छीतरया का वारिस नही था। छीतरया के सायलान व गैरसायलान वारिसान थे तथा उक्त आराजी के तीन बराबर हिस्से होने चाहिए थे। उक्त नामा0 का सायलान को कोई इल्म नही हुआ। मौके पर उक्त आराजी तीन हिस्सो मे बंटी हुई है। जिस पर 9 ऐयर पर सायलान का व 9 ऐयर पर गैरसायलान 1 व 2 का व 9 ऐयर पर गैरसायलान संख्या 3 ता 7 का कब्जा है। जिसे सायलान लगातार निर्वाध रूप से शांति पूर्वक बिना किसी विघ्न व बाधा के खुले आम अधिकार पूर्वक गेरसायल न0 1 के इल्म मे काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर सायलान का विगत 40–50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त आराजी के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार टीनेन्ट हो चुके है। तथा विरासत सभी सायलान उक्त आराजीयात के 1/3 भाग को कानूनन खातेदार टीनेन्ट है उक्त आराज़ी का विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी है। इसलिए प्रथम दृष्टया केस सायलान का बखूबी साबित है। छीतरया से विरासत मे प्राप्त आराजीयात मे गैरसायल संख्या 1 व 2 का केवल 1/3 हिस्सा है। परन्तु फर्जी तरिके से सरपंच से विरासत का नामा0 अकेला कैलासहाय [illegible] दर्ज करवाने के कारण उसके मन मे बदनियती उत्पन्न हो गया तथा गैरसायलान [illegible] आराजी को हडपना चाहता है। जबकि वह किस प्रकार छीतरया का अकेला वारि[illegible]। इस बाबत नामा0 के कुछ भी दर्ज नही है। छीतरया के सायलान [illegible] रूप से बराबर दूरी के रिश्तेदार है। इस प्रकार विरासत मे तीनो का समान आराजी मिलनी चाहिए थी या सिवायचक दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
26.2.20

Scanned by CamScanner

होनी चाहिए थी। गैरसायल न0 1 ने सरपंच से मिलकर उक्त आराजी का नामा0 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जिसके कारण सायलान के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा खातेदारी की आड मे गैर सायल न0 1 ने सायलान के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का झूठा मुकदमा भी अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है। जिसकी आड मे गैरसायल हम सायलान को उक्त आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 9.6.11 को सायलान उक्त आराजी मे अपने हिस्से की भूमि मे से सूल बबूल कचरा साफ कर रहे थे तो गैरसायल न0 1 व 2 लाठी डन्डा लेकर आये और एलानिया धमकी दी गई कि अब तक तो इस भूमि से आप द्वारा काश्त कर लाभ उठा लिया है यह भूमि मेरी खातेदारी मे है यहॉ से भाग जाओ अन्यथा जान से हाथ धोना पडेगा। इस प्रकार यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो सायलान का अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः गैरसायलान को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान की आराजी ख0न0 137 रकबा 20 ऐयर, 147 रकबा 4 ऐयर , 146/527 रकबा 3 ऐयर ग्राम भांवरा गुर्जर तहसील नादौती के 1/3 भाग के सायलान के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। गैरसायल न0 1 ने ही अपना जबाब प्रस्तुत किया है अन्य गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र का जबाब तक प्रस्तुत नही किया है। गैरसायल न0 1 ने भूमि को अपनी स्वअर्जित भूमि होना दर्ज किया है। लेकिन स्वअर्जित भूमि किस प्रकार से है इस बाबत कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया है। जबकि अपीलांटान द्वारा सात किता दस्तावेजात पेश किये है। जिससे वादग्रस्त भूमि छीतरया से विरासत मे प्राप्त होना साबित है। गैरसायल न0 1 ने ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि वह किस प्रकार से छीतरया का वन्हा वारिस है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह लिखा है कि यह दावे मे तय किया जावेगा कि सायलान 1/3 भाग के हिस्सेदार है या नही। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान द्वारा साबित प्रथम दृष्टया केस पर कतई गौर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नही किया है । प्रथम दृष्टया केस का तात्पर्य यह है कि सायलान न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सारभूत प्रश्न रखे जिसे दावे मे साक्ष्य के पश्चात तय किया जावे तो प्रथम दृष्टया केस साबित माना जाता है। प्रकरण हाजा मे सायलान ने सारभूत प्रश्न न्यायालय के समक्ष रखा है कि छीतरया का गैरसायंल संख्या 1 अकेला वारिस नही है। वरन समस्त सायलान व गैरसायलान संख्या 1 ता 7 छीतरया के वारिसान है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। गैरसायल संख्या 1 कैलासहाय ने सायलान जगराम वगै0 के विरूद्व एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे आराजी ख0न0 146/527 रकबा 3 ऐयर ग्राम भांवराखुर्द पर दोनो पक्षो को आपसी सहमति से यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 3.6.15 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया है। तत्पश्चात मूल वाद मुकदमा न0 58/10 खारिज किया गया। जिसमे सायलान का प्रथम दृष्टया केस ,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु साबित था। गैरसायलान वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थाई रूप से पाबन्द थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 3.6.15 के विरूद्व प्रार्थना पत्र हाजा का निर्णय कर दिया है जो पूर्व न्याय के सिद्वान्त रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित है। माननीय न्यायालय भी अपने पूर्ववर्ती निर्णय से पाबन्द है। इस तथ्य पर भी विद्वान अदालत मातहत ने गौर न कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त फरमाया जावे तथा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि मे सायलान को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, सायलान को बेदखल नही करे तथा उक्त भूमि को रहन बय नही करे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे सायलान के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडे।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि साबिक ख0न0 36 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा भूमि का आवंटन छीतरया को हुआ था जिसका भू प्रबंध विभाग ने उक्त भूमि के नवीन ख0न0 137,147,146/527 बनाया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 छीतरया के जीवनकाल मे उसके साथ प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त रहा है तथा उसके मरणोपरान्त वहैसियत अभिलिखित खातेदार काश्तकार काबिज होकर पिछले 35–40 वर्षो से वादीगण की जानकारी मे निरन्तर फसल से निर्बाध लाभ उठाता रहा है। छीतरया का वादीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य किसी से कोई संबंध सरोकार नही रहा है। अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ही प्रश्नगत भूमि पर [illegible] अभिलिखित खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज काश्त है। वादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध सरोकार नही है। विधि की मान्य अवधारणा है कि 35–40 वर्षो से भी अधिक समय से अभिलिखित काबिज

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार के विरूद्व अरथाई निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के मद्वेनजर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद केलासहाय बनाम जगराम के तथ्य अलग है। सन 1976 से रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है। रेस्पो0 के नाम नामा0 दिनांक 7.6.76 तस्दीक हुआ है जब से अपीलांट की जानकारी मे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को पूर्व विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक रूप से सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मीमो आफ अपील मे अपीलांट के द्वारा कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 केलासहाय ने अपने आपको छीतरया का अकेला वारिस बताकर दिनांक 7.6.76 को अपने नाम नामा0 खुलवा लिया। पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 वाके ग्राम भांवरा गुर्जर तहसील नादौती के खतौनी संख्या 36 पर कैलासहाय पुत्र जोस्या जाति गुर्जर नि.देह नामा0 संख्या 23 दिनांक 7.6.76 दर्ज है। इससे प्रकट होता है कि कैलासहाय रेस्पो0 संख्या 1 दिनांक 7.6.76 से विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य अधिनस्थ न्यायालय मे वाद जैरकार है। जिसमे उनके हक हकूको का निर्धारण होना शेष है। पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अपीलांट के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय जो निर्णय पारित किया गया है वह विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मु0न0 19/2011 निर्णय दिनांक 7.10.16 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26.2.20

(बी0एल0रमण)

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: